रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एन.)-72 REGISTERED No. D. (D.N.)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 110] नई दिल्ली, बुधवार, मार्च 14, 1984/फाल्गुन 24, 1905
No. 110] NEW DELHI, WEDNESDAY, MARCH 14, 1984/PHALGUNA 24, 1905

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह असग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 14 मार्च, 1984

का. आ. 161(अ) :—संविधान के अनुच्छेद 239 के खण्ड (1) के अनुसरण में, राष्ट्रपति एतद्द्वारा यह निदेश देते हैं कि प्रत्येक संघ शासित क्षेत्र का प्रशासक (चाहे उसे प्रशासक, मुख्य आयुक्त या उप-राज्यपाल के नाम से ही जाना जाता है), राष्ट्रपति के नियंत्रणाधीन और अगले आदेशों तक, अनिवार्य सेवाएं

अनुरक्षण अधिनियम, 1981 (1981 का 40) की धारा 11 के तहत अपने संघ शासित क्षेत्र के संबंध में राज्य सरकार की शक्तियों का प्रयोग करेगा ।

[सं. यू. 11030/1/84-यू. टी. एल.]

आर. बी. पिल्ले, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 14th March, 1984

S.O. 161(E).—In pursuance of clause (1) of article 239 of the Constitution, the President hereby directs that the Administrator of every Union territory (whether known as Administrator, Chief Commissioner or Lieutenant Governor) shall, subject to the control of the President and until further orders, exercise the powers of the State Government under section 11, of the Essential Services Maintenance Act, 1981 (40 of 1981) within their respective Union territories.

[No. U-11030/1/84-UTL]

R. V. PILLAI, Jt. Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1984